भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1822

जिसका उत्तर सोमवार, 10 मार्च, 2025/19 फाल्गुन, 1946 (शक) को दिया गया

किसान क्रेडिट कार्ड के ऋणों के नवीकरण हेतु समय-सीमा

1822. श्री हरेन्द्र सिंह मलिक:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड के ऋणों के नवीकरण हेतु कितना समय निर्धारित किया गया है;

(ख) क्या सरकार का किसानों के सामने आ रही समस्याओं को देखते हुए इसमें और वृद्धि करने तथा ऋण सीमा के मानकों में किसानों को और अधिक सुविधा प्रदान करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या भूमिहीन और काश्तकार किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ प्रदान करने की कोई योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (ङ)**:**किसान क्रेडिट कार्ड योजना के संबंध में 4 जुलाई 2018 के भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर परिपत्र के अनुसार फसलों की उपज तथा निवेश संबंधी उद्देश्यों सहित समस्त गतिविधियों हेतु पांच वर्ष की अवधि के लिए ऋण सीमा निर्धारित की गई है।

इसके अतिरिक्त, किसान क्रेडिट कार्ड योजना के मास्टर परिपत्र के अनुसार काश्तकार किसान, मौखिक पट्टेदार तथा बटाईदार किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत ऋण प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।

भारत सरकार 7% प्रति वर्ष की दर पर 3 लाख रुपय तक के अल्पावधिक कार्यशील पूंजी ऋण उपलब्ध कराने के लिए संशोधित ब्याज सहायता योजना (एमआईएसएस) के अंतर्गत 1.5% की ब्याज सहायता प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त, ऋणों के समय पर पुनर्भुगतान के लिए किसानों को 3% का त्वरित पुनर्भुगतान प्रोत्साहन भी प्रदान किया जाता है। इस प्रकार किसानों के लिए प्रभावी ब्याज दर 4% रह जाता है। केंद्रीय बजट 2025-26 में भारत सरकार ने केसीसी के माध्यम से लिये जाने वाले ऋणों के लिए एमआईएसएस के अंतर्गत ऋण सीमा को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है।

*****